कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 2025 / 18mg दिनांकः– 3/9/19

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत दरमोली–पिठोली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.19 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन। (FP/UK /ROAD/ 8248/2014)

संदर्भः– नोडल अधिकारी के ऑन लाइन EDS दिनांक 01.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 01.08.2019 के अनुपालन में अवगत कराया जाना है कि नोडल अधिकारी द्वारा "Please send rectified eds as hard copy with corrected annexure" आपत्ति लगायी गयी है, जबकि भारत सरकार के पूर्व पत्र दिनांक 29.05.2019 पर बिन्दुवार आख्या के साथ आवश्यक हार्ड प्रतियॉ 3–3 प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रांक 1597 / 18एम0जी0 दिनांक 16. 07.2019 एवं आपके पत्रांक 228 / 13–दरमोली दिनांक 19.07.2019 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को अवगत कराया जा चुका है(सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त पत्रों की छाया प्रति संलग्न है)।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

3/9/19

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 228 / 13–दरमोली दिनांक 19/7/2019

डाकि सं. 4088
फाईल सं. 18 mg
दिनांक 22-7-19

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाँऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय :– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत दरमोली–पिठोली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.19 हैक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/8248/2014

संदर्भ :– भारत सरकार का ई0डी0एस0 दिनांक 29.05.2019 तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल की पत्र संख्या 1597 / 18एम0जी0 दिनांक 16.07.2019

महोदया,

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र जो आपको संबोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित हैं के कम में विषयगत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/8248/2014 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार कर लिया गया है –

S.N.	EDS	REPLY
1	In reply to point no 01 part II, III & IV still not submitted in hard copy.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय के पत्रांक 805 / 18एम0जी0 दिनांक 03.04.2019 द्वारा पार्ट – II, III and IV का प्रपत्र 3–3 प्रतियों में हार्ड कापी अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोउल अधिकारी देहरादून को प्रेषित की गयी है।
2	In reply to point no 3 in tree enumeration list submitted in hard copy trees are mentioned as 217 but in part II para 4 detail of 213 trees in provided.	प्रस्तावित मार्ग में 217 वृक्ष प्रभावित होते हैं, जिनमें से 213 वृक्षों का विवरण पार्ट–2 में अंकित किया गया है, तथा शेष 4 वृक्ष 0–10 सेमी व्यास के हैं जो ऑन लाईन टिप्पणी में अंकित किया गया है।
3	In reply to point no 13 vide which justification for the requirement of the road was asked. State government has mentioned that the distance of village from existing road in 3-4 Km.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम दरमोली एवं पिठोली मुख्य हिल टॉप के ऊपरी हिस्से में ग्राम आबादी क्षेत्र में बसी हुई है। ग्राम वासियों के आवागमन हेतु उक्त के0एम0एल0 फाईल प्रदर्शित मुख्य मार्ग ग्राम दरमोली के अंतिम छोर सरहद से होकर गुजरता है जबकि ग्राम दरमोली एवं पिठोली भी मुख्य आबादी पहाड़ भू– भाग के मध्य एवं उपरी छोर पर बसा हैं जहां से अवागमन हेतु ग्राम वासियों को पहाड़ी खतरनाक पगडडियो से लगभग 3 से 4 किमी0 दूरी तक कर प्रदर्शित मुख्य मार्ग तक पहुंच पाते है। उक्त कठिनाई से जूझ रहे ग्रामवासियों द्वारा बार–बार इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय बैठको में कहा जाता रहा है, तथा उच्चधिकारियों एवं मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा भी अपने पत्र के माध्यम से मोटर मार्ग निर्माण हेतु निर्देशित किया जाता है।
4	वर्तमान के0एम0एल0 के अनुसार उपरोक्त दोनों ग्राम (दरमोली एवं पिठोली) पूर्व से ही मुख्य मार्ग से जुड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं, तथा प्रस्तावित मार्ग का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है। अतः राज्य सरकार इस बावत पर अपनी विस्तृत टिप्पणी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	बिन्दु –3 के अनुसार।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल की पत्र संख्या 1597 / 18एम0जी0 दिनांक 16.07.2019 की छाया प्रति संलग्नक की जा रही हैं।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 1597 /18mg दिनांकः– 16/7/19

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत दरमोली– पिठोली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.19 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यार्वतन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/Road/8248/2014)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) सुभाष रोड़ देहरादून के पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 91 / 2018 / एफ0सी0 / 465 दिनांक 29.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में चाही गयी आख्या बिन्दुवार निम्नवत तैयार का आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्रसं0	बिन्दु	उत्तरालेख
1	In reply to point no 01 part II, III, & IV still not submitted in hard copy. Action required:- State Government may submit the hard copy of the proposal containing original documents	महोदय आपको अवगत कराया जाना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 8[illegible]5 / 18एम0जी0 दिनांक 03.04. 2019 द्वारा पार्ट–II,III and IV का प्रपत्र 3–3 प्रतियों में हार्ड कापी आपको प्रेषित की गयी है। कृपया एक प्रति भारत सरकार को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति प्रेषित की जा रही है।
2	In reply to point no 3 in tree enumeration list submitted in hard copy trees are mentioned as 217 but in part II para 4 detail of 213 trees in provided. Action required:- state Government may remove this discrepancy and submit the correct detail of trees both in hard copy and at online para 4 Part II.	महोदय आपको अवगत कराया जाना है कि प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल ने अपने पत्रांक 3522 / 13–2'(1) दिनांक 15.04.2019 द्वारा बिन्दु संख्या 2 पर अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग में 217 वृक्ष प्रभावित होते हैं, जिनमें से 213 वृक्षों का विवरण पार्ट–2 में अंकित किया गया है, तथा शेष 4 वृक्ष 0–10 सेमी ब्यास के हैं जिनके बारे में टिप्पणी के विवरण अंकित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

3	In reply to to point no 13 vide which justification for the requirement of the road was asked. state government has mentioned that the distance of village from existing road in 3-4 Km. Action requited:- राज्य सरकार लाभान्वित ग्राम दरमोली एवं पिठोली की लोकेशन प्रस्तावित मार्ग के साथ के0एम0एल0 पर अंकित कर पुनः प्रस्तुत करें।	महोदय इस कम में आपको सूचित किया जाना है कि ग्राम दरमोली एवं पिठोली मुख्य हिल टॉप के ऊपरी हिस्से में ग्राम आबादी क्षेत्र में बसी हुई है। ग्राम वासियों के आवागमन हेतु उक्त के0एम0एल0 फाईल प्रदर्शित मुख्य मार्ग ग्राम दरमोली के अंतिम छोर सरहद से होकर गुजरता है जबकि ग्राम दरमोली एवं पिठोली भी मुख्य आबादी पहाड़ भू–भाग के मध्य एवं उपरी छोर पर बसा है जहां से आवागमन हेतु ग्रामवासियों को पहाड़ी खतरनाक पगडडियों से लगभग 3 से 4 किमी0 दूरी तय कर प्रदर्शित मुख्य मार्ग तक पहुंच पाते हैं। उक्त कठिनाई से जूझ रहे ग्रमवासियों द्वारा बार–बार इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय बैठकों में कहा जाता रहा है, तथा उच्चाधिकारियों एवं मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा भी अपने पत्र के माध्यम से मोटर मार्ग निर्माण हेतु निर्देशित किया जाता है।
4	वर्तमान के0एम0एल0 के अनुसार उपरोक्त दोनों ग्राम (दरमोली एवं पिठोली) पूर्व से ही मुख्य मार्ग से जुडे हुए प्रतीत हो रहे हैं, तथा प्रस्तावित मार्ग का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है। अतः राज्य सरकार इस बावत पर अपनी विस्तृत टिप्पणी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	बिन्दु– 3 के अनुसार।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

15/07/19

(इं. धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

पत्रांकः– 1597 /18My दिनांकः– 16/7/19

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/07/19

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।